न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 155. सन 2019

अनवान :–

1. प्रभुराम 2 रामचन्द्र पि0 गिरधारी जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर।
3. अनिल कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर

बनाम

1. गिरधारी पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर
2. जगदीश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.202.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 8 की 46.00 बीधा व चक 7 केएनएन के खाता संख्या 23/26 की कुल 2.02240हैक एवं चक 3 बारानी के खाता संख्या 118/94 की कुल 0.5060हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा बागाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा बागाराम के देहानत होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिबादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज

है को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 केएनएन के खाता संख्या 26/21 की कुल 5.5660हैक में से नहरी 1.7710हैक व बारानी 3.7450हैक गै0मु0 रास्ता 0.0500हैक व चक 7 केएनएन के खाता संख्या 23/26 की कुल 8 किता की 2.0240हैक व चक 3 बारानी के खाता संख्या 118/94की कुल 0.5060हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादी संख्या 2 के 1/4 हिस्सा में वादी संख्या 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुना गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते